न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 82/**2019 GCMS 2019/00195**

प्रार्थी:–

1. **जगुराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी**

अप्रार्थी:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्तीव शुद्धि करवाने बाबत् अंतर्गत धारा धारा 136, 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री भीकमचंद कुमावत प्रार्थीगण की ओर से।

राज. पैरोकार उपस्थित।

–:निर्णय :–

दिनांक:– 12/05/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 692/9 रकबा 2.2592 है. ख.नं. 774/78 रकबा 0.08 है. ख.नं. 775/78 रकबा 0.40 है. खसरा नंबर 78 रकबा 1.30 है. ख.नं. 793/692 रकबा 0.1008 है. कुल रकबा 4.14 है. स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी की काबिज खातेदारी की दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थी का नाम जागुराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगुराम पुत्र नारायणराम है जो कि मेरे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में भी दर्ज है। उपरोक्त खसरान नंबरान की भूमि में से खसरा नं. 793/692 रकबा 0.1008 है. भूमि गै.मु.रास्ता दर्ज चली हो गई जिसमें मौके पर संलग्न नजरी नक्शेनुसार A से B तक ही रास्ता दर्ज चला आ रहा है व B से C तक मौके पर रास्ता कभी दर्ज नहीं रहा है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में गलती से गै.मु. रास्ता पूरा दर्ज हो गया जबकि यह रास्ता A से B मार्क तक ही चालू है।

उपरोक्त भूमि में से खसरा नंबर 793/692 रकबा 0.1008 है. गै.मु.रास्ता में से A से B मार्क तक ही रास्ता कायम कर रखा जाकर B से C मार्क तक गै.मु.रास्ते की जगह खातेदारी में दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड में तरमीम शुद्धि किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का रिकॉर्ड में नाम शुद्धि व नक्शा में शुद्धि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:54:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

कर तरमीम किया जाना आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र लाना आवश्यक हुआ है।

ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 692/9 रकबा 2.2592 है. ख.नं. 774/78 रकबा 0.08 है. ख.नं. 775/78 रकबा 0.40 है. खसरा नंबर 78 रकबा 1.30 है. ख.नं. 793/692 रकबा 0.1008 है. कुल रकबा 4.14 है. में से खसरा नं. 793/692 रकबा 0.1008 है. में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क A से B तक गै.मु.रास्ता व B से C तक नक्शा ट्रेस में तरमीम रास्ता की दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जावे व रिकॉर्ड में जागुराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर जगुराम पुत्र नारायणराम के नाम की दुरूस्ती किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम शुद्धि किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम परेवड़ी के खसरा नंबर 793/692 रकबा 0.1008 है. किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। चुंकि उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। अतः रास्ते की भूमि को यथावत रखा जावे। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 मु.न. 2017/2021 में निर्णय दिनांक 25.11.2021 की पालना में नामां. सं. 1248 दिनांक 1.12.2021 के द्वारा प्रार्थी का नाम जागुराम को शुद्ध करके करके जगुराम कर दिया गया है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को व राज. पैराकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 692/9 रकबा 2.2592 है., ख.नं. 774/78, रकबा 0.08 है. ख.नं. 775/78, रकबा 0.40 है., खसरा नंबर 78 रकबा 1.30 है., ख.नं. 793/692 रकबा [illegible] है. कुल रकबा 4.14 है. में प्रार्थी का नाम जागुराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर जगुराम पुत्र नारायणराम के नाम से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में दुरूस्त किये जाने के कारण तथा प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में खसरा नं. 793/692 रकबा 0.1008 है. में मार्क A से B तक गै.मु.रास्ता व B से C तक नक्शा ट्रेस में तरमीम रास्ता की दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है चूंकि उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है और राजहित निहीत है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी
(डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी (प्र.प्र.) कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested